ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

<u>भाग-एक</u>

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति माया देवी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अविनाश कुमार	01-04-22 से 01-04-23
2.	श्री मान सिंह	02-04-23 से 07-01-24
3.	श्री पवन कुमार	08-01-24 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कनोल के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में} (₹)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	1.19
2.	05	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.70
3.	06	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.00
4.	07	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करना	0.04
5.	08	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
6.	09	मानदेय के रूप में सदस्यों को अधिक भुगतान करना	0.02
7.	10	खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	2.91
8.	11	दोहरी हाजरी के फलस्वरूप अनियमित भुगतान	0.03
9.	12	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	5.05
10.	13	एक ही दिन अलग-2 कार्यों में मजदूरी के रूप में संदिग्ध व अनियमित भुगतान करने बारे	0.08
11.	14	क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव के फलस्वरूप अधिक/अनियमित व्यय	0.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे

तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2015 से 03/2018" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 204)
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
6	पैरा 7.2	अनिर्णीत	
7	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 14	अनिर्णीत	
15	पैरा 15	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक

द्वारा दिनाँक 19-08-2024 से 28-08-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय कनोल में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	08/22
2023-24	12/23	12/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 365 दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कनोल से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कनोल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कनोल के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	221897.85	52081.00	273978.85	33935.58	240043.27
2023-24	240043.27	13226.00	253269.27	57475.54	195793.73

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत कनोल के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2295358.09	5943052.45	8238410.54	5959941.75	2278468.79
2023-24	2278468.79	2875428.81	5153897.60	2783794.77	2370102.83

{ग} **दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	PNB DARINI	1998000102121460	67333.13
2.	SDP/VKVNY/LADA/5THFC	PNB DARINI	98000102119359	211597.59
3.	SDP	PNB DARINI	98000102131555	13452.04
4.	14TH FC	PNB DARINI	98000102126058	3823.80
5.	TSC	PNB DARINI	98000102126021	31326.49
6.	13TH FC	KCCB RAIT	20040018455	4780.00
7.	3RD SFC	KCCB RAIT	20040016694	199078.00
8.	PMAGY	HDFC DARMMAN	50100349629893	182712.30
9.	MPLAD	PNB DARINI	98000102126049	6143.49
10.	15TH FC	HDFC DARMMAN	50100359563054	1726334.38
11.	हस्तगत रोकड़			599.00
कुल योग				**2447180.22**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2447180.22
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2565896.56
अंतर	**118716.34**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹1.19 लाख का अन्तर पाया जाना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को ₹**118716.34** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज पैरा 4 व 5 में दर्ज आपत्ति के उपरान्त भी पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण गम्भीर आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(1) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कनोल से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर लिया जायेगा व जिसे आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की वसूली उचित स्रोत से कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत SDP/VKVNY/LADA/5THFC स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध SDP/VKVNY/LADA/5THFC स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, पंजाब नेशनल बैंक दरिणी में खाता संख्या 98000102119359 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार

प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी |

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए |

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं | जिसमें से कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
14TH FC	13/02.08.2022	C/O of Panchayat Samudayak Kender (Panchayat Ghar)	51750
14TH FC	20/12.08.2022	Construction of Two Room at G.S.S.S kanol	28700
14TH FC	23/12.08.2022	Construction of Play Ground Govt.Primery School Kanol	73925

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(6) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कनोल से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएं व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

5. अनुदान राशि ₹23.70 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2370102.83 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(2) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कनोल से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये|

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹1.00 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹99940 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर :-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2022-23	628	50	49940	31400	81340	12800	68540
2023-24	628	50	68540	31400	99940	0	99940

पूर्वोक्त वर्णित तथ्यों व आंकड़ों से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका।

गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(3) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया

जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹4400 की प्राप्ति न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य)से व ₹50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था, परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पेज संख्या / क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	प्राप्ति योग्य राशि
1.	63/10	श्री राणु राम	02.07.2023	13.07.2023	200
2.	63/12	श्री राजेश कुमार	07.08.2023	17.08.2023	200
3.	63/13	श्री हंश राज	07.08.2023	25.10.2023	400
4.	63/14	श्री अश्वनी कुमार	25.09.2023	25.11.2023	400
5.	64/15	श्री बन्टू राम	01.12.2023	12.12.2023	200
6.	64/16	श्री परवीन कुमार	29.11.2023	12.12.2023	200
7.	65/1	श्री रवि कुमार	11.12.2023	16.02.2024	400
8.	65/2	श्री विरेंदर कुमार	19.02.2024	01.03.2024	200

9.	65/3	श्री विनोद कुमार	19.02.2024	01.03.2024	200
10.	65/4	श्री बाबू राम	18.02.2024	12.03.2024	200
11.	66/5	श्री अजय कुमार पुत्र श्री रतन	14.02.2024	12.03.2024	200
12.	66/6	श्री अजय कुमार पुत्र श्री गोरखा राम	19.02.2024	16.03.2024	200
13.	66/7	श्री बिट्टू राम	07.03.2024	19.03.2024	200
14.	66/8	श्री रणजीत कुमार	03.03.2024	19.03.2024	200
15.	67/9	श्री परभाती राम	03.03.2024	19.03.2024	200
16.	67/10	श्री अजय कुमार पुत्र श्री भूपेंदर कुमार	03.03.2024	21.03.2024	200
17.	67/11	श्री करतार सिंह	05.03.2024	27.03.2024	200
18.	67/12	श्री सचिन कुमार	15.02.2024	27.03.2024	400
कुल योग					**4400/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(5) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त की गई राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह

पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1	2022-23	2400
2	2023-24	1200
कुल योग		**3600**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(4) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शुल्क को जल्द ही सरकारी कोष में जमा करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये|

9. मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे

हि० प्र० पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 17 दिनांक 04.08.2022 के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 01.04.2022 से 30.06.2022 की अवधि के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह 06/2022 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 09.06.2022 को हुई थी जिसके फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत बैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	भुगतान की गई राशि	पंचायत बैठकों की कुल संख्या	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1.	श्रीमति रेखा देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
2.	श्रीमति रेखा देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
3.	श्रीमति कमला देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
4.	श्रीमति मनोहर लाल	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
5.	श्रीमति रीना देवी	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
6.	श्री राज कुमार	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
7.	श्री रमेश चंद	01.04.2022 से 30.06.2022	1800 (6X300)	5	1500 (5X300)	300
कुल योग						**2100/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363(7) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न दोहराई जाये।

10 खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹2.91 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार चयनित मासों के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान **₹291175**/- का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

क्र० सं०	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण			बिल राशि	निर्माण कार्य का नाम
					रेत	बजरी	पत्थर		
1	14th FC	12/02.08.22	391/14.05.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	380 CFT	--	--	19600	C/O Community Hall at Kanol in GP Kanol
			392/15.05.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	--	700 CFT	--	35700	
2	VKVNY	13/02.08.22	380/15.02.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	180 CFT	370 CFT	--	28950	C/O Panchayat Samudayak Kender GP Kanol
			378/15.02.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	--	--	500 nos	7500	
3	VKVNY	23/02.08.22	375/15.02.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	320 CFT	650 CFT	--	38820	C/O Play Ground GPS kanol
			376/15.02.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	--	600 CFT	--	30600	
4	15^{TH} FC	P/26/04.08.22	388/01.05.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	386 CFT	539 CFT	--	49105	निर्माण पक्का रास्ता अमर सिंह की जमीन से खूनी राम के घर की ओर
5	15^{TH} FC	P/27/04.08.22	397/06.06.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	220 CFT	240 CFT	--	30690	गंदे पानी की निकासी हेतु नाली राजकुमार , हरवंश की जमीन में वार्ड न० 4
6	15^{TH} FC	P/28/16.08.22	417/06.06.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	108 CFT	210 CFT	--	18030	निर्मन निकासी नाली गगन की जमीन से नाली तक गाँव कनोल
7	15^{TH} FC	P/29/16.08.22	419/06.06.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	108 CFT	210 CFT	--	18030	निर्माण पक्की नाली बलजीत की जमीन में गाँव सल्ली
8	15^{TH} FC	P/30/16.08.22	419/15.06.22	भूपेंदर इंटरप्राइजेज	80 CFT	170 CFT	--	14150	निर्माण सार्वजनिक पानी टंकी शुभाष चंद के घर के पास
			कुल योग		1782 CFT	3689 CFT	500 NOS	**291175/-**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(1) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के अभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए। अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.03 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्टरोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक , में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	राज कुमार	..... 5778...... 1.12.2023 से 15.12.2023	C/O Nikashi Nalli near Jagdish House ward no. 4	12.12.2023	500	181

2.	रमेश चंद	..... 1528...... 16.05.2023 से 31.05.2023	C/O jeepable road from sadak toward Nisha devi house	26.05.2023	500	224
3.	मनोहर लाल	..... 4064...... 01.09.2023 से 15.09.2023	C/O Ambulance road prem lal toward Darshan singh land	05.09.2023	500	224
4.	मनोहर लाल	..... 5781...... 01.12.2023 से 15.12.2023	C/O Ambulance road prem lal toward Darshan singh land	12.12.2023	500	224
5.	रमेश चंद	..... 7936...... 16.02.2024 से 29.02.2024	C/O Ambulance road Baldev house toward Muskan house	27.02.2024	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(6) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. क्रय किये गये सामान राशि ₹5.05 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी

स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹504573/-** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	राशि
1.	13 दिनांक 02.08.2022	390,378 दिनांक Nill	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी पत्थर	180 CFT 370 CFT 500 NOS	51750
2.	12 दिनांक 02.08.2022	391,392 दिनांक Nill	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	350 CFT 700 CFT	55300
3.	23 दिनांक 12.08.2022	375,376 दिनांक Nill	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	320 CFT 650 CFT	73925
4.	P26 दिनांक 04.08.2022	386 दिनांक 01.05.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	386 CFT 539 CFT	54405
5.	P27 दिनांक 04.08.2022	386 दिनांक 06.06.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	220 CFT 280 CFT	34605
6.	P29 दिनांक 04.08.2022	417 दिनांक 01.05.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	108 CFT 210 CFT	21880
7.	P28 दिनांक 16.08.2022	429 दिनांक 01.05.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	108 CFT 210 CFT	22144
8.	P30 दिनांक 16.08.2022	418 दिनांक 01.05.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी	80 CFT 170 CFT	16350
9.	P31 दिनांक 16.08.2022	420 दिनांक 01.05.2022	मै. भूपिंदर इंटरप्राइजेज	रेत बजरी बोल्डर ब्रिक्स	70 CFT 180 CFT 70 CFT 350 NOS	19982
10.	32 दिनांक	109 दिनांक	मै. सुमन ट्रेडर	दरवाजा	2 NOS	9700

	02.12.2023	20.08.2023		चौकट पल्ले वेंटिलिटर	2 NOS 17.70 KG	
11.	35 दिनांक 07.12.2023	1429 दिनांक NILL	मै. रजत ट्रेडर	सरिया	10MM – 127 KG WIRE – 2.7 KG	13732
12.	P3 दिनांक 21.12.2023	69882 दिनांक 24.06.2023	मै. हि.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	17 NO.	6800
13.	P4 दिनांक 21.12.2023	69883 दिनांक 24.06.2023	मै. हि.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	17 NO.	6800
14.	P5 दिनांक 21.12.2023	69882 दिनांक 24.06.2023	मै. हि.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	18 NO.	7200
15.	P8 दिनांक 21.12.2023	1444 दिनांक NILL	मै. रजत ट्रेडर	Colour coded sheets, S pipe, Angle, Ridge	--	1,10,000
					कुल योग	**504,573/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(4) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख न रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. मजदूरी के रूप में राशि ₹0.08 लाख का संदिग्ध व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा शीर्ष व 15TH FC के मस्ट्रोलों की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मनरेगा निधि में उपस्थित आवेदकों व 15TH FC के मस्ट्रोल में उपस्थित आवेदकों की उपस्थिति एक ही दिनांक को अलग-2 कार्यों में पाई गई थी जिसके कारण निर्माण कार्य में उपस्थित निम्नलिखित आवेदकों को एक ही दिन में दोहरी हाजरी के फलस्वरूप अनियमित भुगतान किया गया था जो कि ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली के प्रति संदेह व लापरवाही को दर्शाता है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

वाउचर संख्या दिनांक	निधि	मस्ट्रोल संख्या/ अवधि	निर्माण कार्य का नाम	आवेदक का नाम	दिनांक जिसमें उपस्थित सामान दिन में दर्ज की गई है	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान	निधि	मस्टरोल संख्या /अवधि	निर्माण कार्य का नाम	आवेदक का नाम	दिनांक जिसमें उपस्थित सामान दिन में दर्ज की गई है	मजदूरी दर/ अनुचित भुगतान
P/36 दिनांक28.10.2022	15th FC	19859/01.09.2022 से 15.09.2022	Nirman Rasta + Retaining wall + Railing + filling near Parbhat singh ke ghar ke pass	मिशरो देवी w/o वासी राम	01.09.23 02.09.23 03.09.23 06.09.23 07.09.23 10.09.23 11.09.23 12.09.23 14.09.23	09 x 350 = **3150**	मनरेगा	2486/01.09.2022 से 15.09.2022	C/O Cow Shed Basti ram s/o Raghu ram land	मिशरो देवी w/o वासी राम	01.09.23 02.09.23 03.09.23 06.09.23 07.09.23 10.09.23 11.09.23 12.09.23 14.09.23	09 x 212 = **1908**
				उत्तम चंद s/o दिग्गती राम	01.09.23 से 15.09.23	15 x 350 = **5250**	मनरेगा	2473/01.09.2022 से 15.09.2022	C/O Upgradation Panchayat Samudayk kender (Panchayat ghar)	उत्तम चंद s/o दिग्गती राम	01.09.23 से 15.09.23	15 x 212 = **3180**
कुल योग						**8400**						**5088**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(5) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा |

अतः इस अनियमिता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त अनियमित भुगतान को पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. निर्माण कार्य C/O Pulli at chamunda (chandrela) Mandir शीर्ष (SDP) हेतु राशि ₹0.02 लाख का अपेक्षाकृत क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान C/O Pulli at chamunda (chandrela) Mandir शीर्ष (SDP) की माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (सरिया) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (सरिया) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	28756/65-70	(सरिया)	127 kg	110 kg	17 kg	90 +18% GST	1805

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(7) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	08/22	741300.00
2.	2023-24	12/23	445888.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(2) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 08/22 व 12/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 08/22 व 12/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(1) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रोस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)

7	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
8	बिल रजिस्टर	13	48
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(8) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364(9) दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP(KS)-05/2024 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

20. **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

की०/प्र०

5525– 5529 19 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)204 / 2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

की०/प्र०

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT INDORA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	221897.85	52081.00	273978.85	33935.58	240043.27

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 221897.85

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	240043.27	13226.00	253269.27	57475.54	195793.73

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 240043.27

J.A

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रेत,कांगड़ा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर
दिनांक

26

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के सन्दर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KANOL-SALLI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	162285.38	2223.00	164508.38	160786.58	3721.80
2	MGNREGA	0	2790656.45	2790656.45	2790656.45	0.00
3	CSC	0	13226.00	13226.00	0.00	13226.00
4	5TH FC	129307	322223.00	451530.00	256500	195030.00
5	PMAGY	103038.00	75606.00	178644.00	0.00	178644.00
6	MPLAD	5854.89	160.00	6014.89	35.40	5979.49
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP/SDRF/ VMJS/PS	305323.89	976920.00	1282243.89	871001.98	411241.91
9	SK RELIEF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	29715.89	812.00	30527.89	35.40	30492.49
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	12746.04	348.00	13094.04	0.00	13094.04
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1547087	1760878.00	3307965.00	1880925.94	1427039.06
	TOTAL	**2295358.09**	**5943052.45**	**8238410.54**	**5959941.75**	**2278468.79**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KANOL-SALLI BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	3721.80	102.00	3823.80	0.00	3823.80
2	MGNREGA	0.00	1754125.81	1754125.81	1754125.81	0.00
3	CSC	13226.00	5875.00	19101.00	0.00	19101.00
4	5TH FC	195030.00	287025	482055.00	340488	141567.00
5	PMAGY	178644.00	4068.00	182712.00	0.00	182712.00
6	MPLAD	5979.49	164	6143.49	0	6143.49
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP/SDRF/ VMJS/PS	411241.91	243449	654690.91	422505.96	232184.95
9	SK RELIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	30492.49	834.00	31326.49	0.00	31326.49
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	13094.04	358.00	13452.04	0.00	13452.04
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1427039.06	579428.00	2006467.06	266675.00	1739792.06
	TOTAL	**2278468.79**	**2875428.81**	**5153897.60**	**2783794.77**	**2370102.83**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **2278468.79**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत, कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर..........
दिनांक ....

27

BANK DETAIL OF GP KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	1998000102121460	36810.85
2	SDP/VKVNY/LADA/ 5THFC	PNB DARINI	98000102119359	434630.89
3	SDP	PNB DARINI	98000102131555	12746.04
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126058	162285.38
5	TSC	PNB DARINI	98000102126021	29715.89
6	13TH FC	KCCB RAIT	20040018455	4511.00
7	3RD SFC	KCCB RAIT	20040016694	179977.00
8	PMAGY	HDFC DARMMAN	50100349629893	103038.30
9	MPLAD	PNB DARINI	98000102126049	5854.89
10	15TH FC	HDFC DARMMAN	50100359563054	1553771.30
CASH IN HAND				599.00
TOTAL				2523940.54

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	1998000102121460	59985.67
2	SDP/VKVNY/LADA/ 5THFC	PNB DARINI	98000102119359	514465.51
3	SDP	PNB DARINI	98000102131555	13094.04
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126058	3721.80
5	TSC	PNB DARINI	98000102126021	30492.49
6	13TH FC	KCCB RAIT	20040018455	4640.00
7	3RD SFC	KCCB RAIT	20040016694	193203.00
8	PMAGY	HDFC DARMMAN	50100349629893	177332.30
9	MPLAD	PNB DARINI	98000102126049	5979.49
10	15TH FC	HDFC DARMMAN	50100359563054	1427035.38
CASH IN HAND				599.00
TOTAL				2430548.68

	BANK DETAIL OF GP KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	PNB DARINI	1998000102121460	67333.13
2	SDP/VKVNY/LADA/ 5THFC	PNB DARINI	98000102119359	211597.59
3	SDP	PNB DARINI	98000102131555	13452.04
4	14TH FC	PNB DARINI	98000102126058	3823.80
5	TSC	PNB DARINI	98000102126021	31326.49
6	13TH FC	KCCB RAIT	20040018455	4780.00
7	3RD SFC	KCCB RAIT	20040016694	199078.00
8	PMAGY	HDFC DARMMAN	50100349629893	182712.30
9	MPLAD	PNB DARINI	98000102126049	6143.49
10	15TH FC	HDFC DARMMAN	50100359563054	1726334.38
CASH IN HAND				599.00
TOTAL				2447180.22

J.A

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत,कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत कनोल
विकास खण्ड रैत (हि.प्र.)

हस्ताक्षर

"परिशिष्ट-ख" पैरा-6 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	628	50	49940	31400	81340	12800	68540

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KANOL-SALLI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	628	50	68540	31400	99940	0	99940

Junior Auditor
H.P. State Audit Department
Shimla - 9